


| क्र०स० | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|--------|---------------------------|---|
| | | <p>निवेदन किया। जवाब प्रा. पत्र 022R 4 खण्ड किया जाता है। वकील उभयपक्ष की हरी प्रा. पत्र 022R4 पर सुनी गई। प्रा. पत्र 022R4 स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते ललकी व संशोधित शीर्षक दिनांक 22/3/24 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">✓</p> |
| | 22/3/24 | <p>पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप० पत्रावली वास्ते ललकी व संशोधित दिनांक 12/4/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">✓</p> |
| | 12/4/24 | <p>पत्रावली पेश। पक्षकारान वकील उपलब्ध। पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक दिनांक 13/5/24 को पेश है। पुनश्चः इस कदर लिखने के पश्चात वकील प्राची ने संशोधित शीर्षक पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली दिनांक 13/5/24 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">✓</p> |
| | 13/5/24 | <p>पत्रावली पेश। वकील प्राची। प्राची संख्या ② उप०। वकील प्राची ने अपने आवेदन पत्र को नोट प्रेस अंकित कर खारिज करने का निवेदन किया। वकील प्राची। प्राची ② में अपने हस्ताक्षर अंकित विद्ये एवं नोट प्रेस अंकित किया। वकील प्राची द्वारा नोट प्रेस किये जाने के आधार पर प्राची पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली जमानत सुधार है।</p> |

Not Press
का प्रारंभ




13/5/24

फर्द अहकाम

संपातराम बनाम भूरी

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या 57/2013 T.I.

| क्र.सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---------|---------------------------------|--|----------------|
| | | <p>दर्जन. से कम ही दाखिल गन्तर रही</p> <p></p> <p>उपखण्ड अधिकारी फागी</p> | |